

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/150/12/3067  
SPMCIL/VIG/150/12/

दिनांक 20.08.2014  
Date: 20.08.2014


परिपत्र/Circular

विषय/Sub: सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र के संदर्भ में।/Vigilance Clearance Certificate - reg.

सभी संबंधितों को यह अधिसूचित किया जाता है कि उन कर्मचारियों का जारी सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र जो तदपश्चात् दोषी पाए जाते हैं प्रथम श्रेणी की सलाह के जारी होने के तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाए तथा संबंधित इकाई के मानव संसाधन प्रतिनिधि द्वारा उन कर्मचारियों का नया सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा जाए।

It is notified to all concerned that the Vigilance Clearance issued to those officials who are found to be errant at later date should be presumed to be void with immediate effect of issuance of First Stage Advice and a new vigilance clearance certificate of these officials shall be sought by the HR representative of the concerned unit.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
2. This issues with the approval of Competent Authority.

  
(ए. के. रे)/(A. K. RAY) 20/8/14

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (वित्त)।/Addl. GM (Finance).
4. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./DGMs (CHO)/Dy. CVO.
5. प्रबंधक (नि.मु.)/Manager (CHO).
6. मानव संसाधन विभाग के संबंधित प्रतिनिधि/Concerned representatives of HR Dept.
7. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
8. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.